संख्या-253/2016/273/22-2-2016-17(64)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी गन्ठा पुत्र श्री सईद खां, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/पर-3 (एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 11-12-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गन्ठा पुत्र श्री सईद खां, निवासी ग्राम आलमपुर गजरौला, थाना बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 30-05-1999 को सायं लगभग 07-00 बजे बंदूक, तमन्चा, रायफल से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1502/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25ए एक्ट में मा0 षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 29-08-2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 16 वर्ष 03 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 09 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 30-05-1999 को सायं लगभग 07-00 बजे बंदूक, तमन्चा, रायफल से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी गन्ठा पुत्र श्री सईद खां, निवासी जनपद-बरेली को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-19389(एम0/बी0)/2016 गन्ठा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गन्ठा (बन्दी संख्या-36581) पुत्र श्री सईद खां, निवासी जनपद-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-253/2016/273(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बरेली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-253/2016/273@22-2-2016-17(64)/2016

दिनांक 30 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी गन्ठा (बन्दी संख्या-36581) पुत्र श्री सईद खां, निवासी ग्राम आलमपुर गजरौला, थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 30-05-1999 को सायं लगभग 07-00 बजे बंदूक, तमन्चा, रायफल से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1502/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25ए एक्ट में मा0 षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 29-08-2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2015 तक 16 वर्ष 03 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 09 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 30-05-1999 को सायं लगभग 07-00 बजे बंदूक, तमन्चा, रायफल से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी गन्ठा पुत्र श्री सईद खां, निवासी जनपद-बरेली को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।